

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 279 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 23 / 05 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. तेज सिंह तोमर पुत्र झण्डा सिंह तोमर, उम्र 52 वर्ष।

निवासी :- रावतपुरा सहानी, थाना : लहार, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 27 / 03 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी तेज सिंह पर धारा 279, 338 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 23/02/2016 की शाम लगभग 06:30 बजे ग्राम सलमपुरा के पास गोहद—मौ रोड़, सोवरन सिंह के ट्यूबवैल के पास, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत गौतम सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23/02/2016 की शाम लगभग 06:30 बजे ग्राम सलमपुरा के पास गोहद—मौ रोड़, सोवरन सिंह के ट्यूबवैल के पास, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 के चालक तेज सिंह, निवासी : रावतपुरा द्वारा उक्त मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर आहत गौतम की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जितेन्द्र सिंह द्वारा उसी दिनांक को रात्रि 10:00 बजे थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 के चालक तेज सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/2016 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी तेज सिंह को दिनांक : 24/02/2016 को ग्राम किटी में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी तेज सिंह द्वारा पेश करने पर वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 को ग्राम किटी में जब्त कर

दिनांक : 24/02/2016 को जल्दी पंचनामा बनाया गया। जल्दशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी जितेन्द्र सिंह एवं आहत गौतम सिंह एवं साक्षी अवधेश एवं दिनेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त तेज सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं द्वारा मोटर साईकिल ना चला पाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी तेज सिंह ने दिनांक :- 23/02/2016 की शाम लगभग 06:30 बजे ग्राम सलमपुरा के पास गोहद-मौ रोड़, सोवरन सिंह के ट्यूबवैल के पास, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30/एम.एच./3754 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत गौतम सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी तेज सिंह ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जितेन्द्र अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 23/02/2016 के शाम के साढ़े छः बजे की है। वह एवं उसका चचेरा भाई गौतम यादव अपने खेतों में लेट्रिन करके वापस

अपने ग्राम सलमपुरा आ रहे थे, तभी पीछे से एक मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 का चालक उक्त मोटर साईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसके चचेरे भाई गौतम यादव में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका भाई गौतम गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर के घुटनों, सिर एवं कान में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि मोटर साईकिल का चालक भी गिर गया था और मौके पर दिनेश एवं अवधेश भी आ गये थे। उन्होंने मोटर साईकिल वाले को पकड़ लिया था, मोटर साईकिल के चालक ने अपना नाम तेज सिंह तोमर, निवासी :- रावतपुरा साहनी का होना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह गौतम को मौ चिकित्सालय लेकर गये थे, जहाँ डॉक्टर ने उसे ग्वालियर रिफर कर दिया था। उसके द्वारा थाना मौ में रिपोर्ट की गई थी, रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. आहत/साक्षी गौतम यादव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 23/02/2016 के शाम के साढ़े छ : बजे की है। वह उस समय, उसके भाई जितेन्द्र के साथ लेट्रिन करके वापस अपने ग्राम सलमपुरा आ रहा था। वह एवं जितेन्द्र अपनी साइड जा रहे थे, तभी पीछे से एक मोटर साईकिल प्लेटिना क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 का चालक तेज सिंह ने उसे टक्कर मार दी, टक्कर लगने से वह गिर गया एवं चालक तेज सिंह भी गिर गया, जिससे उन दोनों को चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना के समय उसके कान के पर्दे में छेद हो गया था, दोनों घुटनों और कोहनी में चोटें आईं। वहाँ पर लोग एकत्रित हो गये, जिन्होंने मोटर साईकिल के चालक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तेज सिंह निवासी :- रावतपुरा साहनी का होना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद वह बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे मौ चिकित्सालय में होश आया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे ग्वालियर रिफर कर दिया था, जहाँ उसका ईलाज चला था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

10. अभियोजन साक्षी दिनेश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 23/02/2016 के शाम 06:30 बजे की ग्राम सलमपुरा के पहले मंदिर के पास आम रास्ते की है। उस समय आहत गौतम एवं जितेन्द्र लेट्रिन करके सड़क से गांव की ओर चले आ रहे थे। वह उस समय पानी भरने के लिए पैदल-पैदल सड़क पर चला आ रहा था, उस समय देहगांव की तरफ से एक मोटर साईकिल वाला चिल्लाता हुआ चला आ रहा था, कि एक्सीडेंट हो गया है, दो लड़के सड़क पर डले हुये हैं। तब वह अपने पानी के बर्तन रखकर भागकर घटनास्थल पर पहुँचा, वहाँ पर उसने देखा कि गौतम बेहोश पड़ा हुआ था एवं जितेन्द्र, गौतम को पकड़े हुये था। साक्षी आगे कहता है कि उसने जितेन्द्र से पूछा कि किससे एक्सीडेंट हो गया,

तो उसने बताया कि एक मोटर साईकिल ने टक्कर मार दी और उक्त मोटर साईकिल चालक आस-पास ही कहीं छिपा हुआ है। साक्षी आगे कहता है कि घटना के समय उसके साथ अवधेश भी मौजूद था। उसने एवं अवधेश ने इधर-उधर देखा तो आरोपी तेज सिंह छिपा हुआ एक गड्ढे में बैठा था। उसने एवं अवधेश ने उसे पकड़ लिया और उसे घटनास्थल पर जितेन्द्र एवं गौतम के पास लेकर आये। उसी समय पुलिस वाले आ गये और वह मोटर साईकिल पर बैठाकर तेज सिंह को थाने ले गये। उसी समय उसके और भाई-बंधु आ गये थे, जो आहत गौतम एवं जितेन्द्र को अस्पताल मौ ले गये। जहाँ पर डॉक्टर ने गौतम को ग्वालियर रैफर कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

11. अभियोजन साक्षी अवधेश यादव अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 23/02/2016 के शाम 06:00 बजे की ग्राम सलमपुरा के पहले मंदिर के पास आम रास्ते की है। उस समय आहत गौतम एवं जितेन्द्र लेट्रिन करके सड़क से गांव की ओर चले आ रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि वहीं देहगांव की तरफ से एक मोटर साईकिल क्रमांक एम. पी.30/एम.एच./3754 के चालक ने उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर गौतम में पीछे से टक्कर मार दी, टक्कर लगने से गौतम के सिर एवं कान में चोट आई थी, मोटर साईकिल वाला भी गिर गया था। साक्षी आगे कहता है कि मोटर साईकिल वाले ने अपना नाम तेज सिंह, निवासी :- रावतपुरा लहार का होना बताया था। मोटर साईकिल वाले को उन लोगों ने पकड़ लिया था और गौतम को ईलाज के लिए अस्पताल लेकर गये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी जितेन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि आरोपी को पुलिस पकड़कर ले गई थी। वह स्वयं पकड़कर नहीं ले गया था। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस को 100 नम्बर पर किसी के द्वारा सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई थी। घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी दिनेश अ.सा.04 का भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि उसने एवं अवधेश अ.सा.05 ने इधर-उधर देखा तो आरोपी चालक तेज सिंह एक गड्ढे में छिपा हुआ बैठा था, तब उसने एवं अवधेश ने तेज सिंह को पकड़ लिया और उसे घटनास्थल पर फरियादी जितेन्द्र एवं आहत गौतम के पास ले आये। उसी समय पुलिस वाले आ गये और वह आरोपी चालक तेज सिंह को मोटर साईकिल पर बैठाकर थाने ले गये। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में दिनेश अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसने उसके पुलिस कथन में यह बता दिया था कि पुलिसकर्मी मौके पर आ गये थे और अगर उक्त बात उसके पुलिस कथन में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। दिनेश अ.सा.04 के पुलिस कथन में घटनास्थल पर घटना के पश्चात् पुलिस के आ जाने और पुलिस के द्वारा आरोपी तेज सिंह को साथ ले जाने के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी अवधेश अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित

किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले मोटर साईकिल चालक को हम लोगों ने पकड़ लिया था और उसने अपना नाम तेज सिंह बताया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में अवधेश अ.सा.05 का कहना है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को मौके पर ही पकड़ लिया था। इस प्रकार फरियादी जितेन्द्र अ.सा.02, साक्षी दिनेश अ.सा.04 एवं साक्षी अवधेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक तेज सिंह के दुर्घटनास्थल पर ही दिनेश एवं अवधेश द्वारा पकड़ लिये जाने एवं घटनास्थल पर पुलिस के आ जाने और पुलिस द्वारा घटनास्थल से ही आरोपी चालक तेज सिंह को अपने साथ ले जाने के तथ्य दर्शित हुये हैं। जबकि प्रकरण के विवेचक रूपेदवसाय पेंकरा अ.सा.07 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी तेज सिंह को घटना के दूसरे दिन दिनांक : 24/02/2016 को गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख किया है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 में भी गिरफ्तारी का दिनांक : 24/02/2016 समय दोपहर 11:20 बजे एवं गिरफ्तारी का स्थान ग्राम किटी होना दर्शित होता है। इस प्रकार आरोपी चालक तेज सिंह के पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दिनांक, समय एवं स्थान के संबंध में फरियादी जितेन्द्र अ.सा.02, दिनेश अ.सा.04, अवधेश अ.सा.05 एवं विवेचक रूपदेव अ.सा. 07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

13. ऐसी दशा में उल्लेखनीय यह भी है कि जब आरोपी चालक को तेज सिंह को दुर्घटना दिनांक : 23/02/2016 को पुलिस द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया था, तब उसके दिनांक : 24/02/2016 को ग्राम किटी में दोपहर 11:20 बजे गिरफ्तार किये जाने का तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है। यह संभव था कि घटनास्थल पर पहुँचे पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी चालक तेज सिंह के गिरफ्तारी प्रपत्र ना बनाये जाते परन्तु थाना मौ पहुँचकर दिनांक : 23/02/2016 को ही हस्तगत अपराध में आरोपी तेज सिंह की गिरफ्तारी किया जाना संभव था, परन्तु ऐसा ना कर पुलिस द्वारा दिनांक : 24/02/2016 को आरोपी को गिरफ्तार करना आरोपित दुर्घटना में आरोपी तेज सिंह की संलिप्तता को संदेहास्पद बनाता है।

14. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी दिनेश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि घटनास्थल पर जितेन्द्र ने उसे यह बताया कि दुर्घटनाकारित करने वाला चालक आस-पास कहीं छिप गया है, जिसे उसने एवं अवधेश ने इधर-उधर ढूँढ़कर एक गड्ढे में बैठा हुआ पकड़ा था, जबकि अवधेश अ.सा.05 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि मोटर साईकिल का चालक कहीं छिप गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त चालक को मौके पर ही पकड़ लिया था। इस प्रकार आरोपी चालक तेज सिंह के दुर्घटनास्थल के पास एक गड्ढे में छिप जाने के संबंध में कथित चक्षुदर्शी साक्षी दिनेश अ.सा. 04 एवं अवधेश अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अत्यंत विरोधाभाषपूर्ण होने के कारण संदेहास्पद है।

15. आहत गौतम यादव अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि मोटर साईकिल अर्थात् दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल किस प्रकार चल रही थी। आहत गौतम यादव अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में भी दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चल रहे होने के संबंध में कोई तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस प्रकार आरोपी तेज सिंह द्वारा आरोपित दुर्घटना में मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य आहत गौतम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रकट नहीं हुये हैं।

16. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी दिनेश अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी तेज सिंह को दुर्घटनाकारित करते हुये नहीं देखा था। इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि तेज सिंह द्वारा कोई वाहन उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया गया, अथवा नहीं। इस प्रकार साक्षी दिनेश अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी तेज सिंह द्वारा आरोपित दुर्घटना में मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30/एम.एच./3754 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाते देखे जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

17. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी अवधेश अ.सा.05 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि घटना के समय वह घर पर था, जब हल्ला अर्थात् शोर हुआ, तब वह घटनास्थल पर पहुँचा था। घटनास्थल से उसका घर 200 मीटर की दूरी पर है। साक्षी आगे कहता है कि उसे गांव वालों ने यह बताया था कि टक्कर आरोपी तेज सिंह द्वारा कारित की गई है। इस प्रकार अवधेश अ.सा.05 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

18. प्रकरण में आहत गौतम का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ. राहुल सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/02/2016 को सीएचसी मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के प्रधान आरक्षक 304 लक्ष्मण सिंह द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा आहत गौतम पुत्र अलवेल यादव का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। इस वावत् डॉ.राहुल सिंह द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उस पर चिकित्सीय परीक्षण किये जाने का दिनांक : 23/02/2016 एवं समय 07:15 पी.एम. अंकित है। जिससे यह प्रकट होता है कि उनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किये जाने के समय 07:15 पी.एम. के पूर्व ही आहत गौतम के पास पुलिस या पुलिस के पास आहत गौतम पहुँच चुका था। परन्तु अभियोजन साक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि चिकित्सीय परीक्षण किये जाने के पूर्व आहत गौतम

का मजरूह फॉर्म किस समय एवं किस स्थान पर किस पुलिसकर्मी द्वारा भरा जाकर उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी मौ में भेजा गया। यदि उक्त चिकित्सीय परीक्षण फॉर्म सीएचसी मौ में ही भरा गया और आहत गौतम को थाने ले जाये जाने की स्थिति नहीं थी, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट देहाती नालसी के रूप में सीएचसी मौ पर ही लेखबद्ध क्यों नहीं की गई और यदि आहत गौतम का उक्त चिकित्सीय परीक्षण फॉर्म 07:15 पी.एम. के पूर्व थाना मौ में भरा गया था, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट 07:15 पी.एम. के पूर्व ही थाना मौ में लेखबद्ध ना की जाकर रात्रि 10:00 बजे लेखबद्ध क्यों की गई। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से आरोपी तेज सिंह द्वारा आरोपित घटना कारित किये जाने का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

19. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/02/2016 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी जितेन्द्र द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 का चालक तेज सिंह तोमर द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर गौतम यादव को टक्कर मारने की रिपोर्ट की जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/2016 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर एसआई रूपदेवसाय पेंकरा को सौंप दी थी। बलवीर अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

20. अभियोजन साक्षी रूपदेवसाय अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 24/02/2016 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 45/2016 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की एफआईआर विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी जितेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी जितेन्द्र, साक्षी अवधेश, दिनेश एवं दिनांक : 03/03/2016 को साक्षी गौतम के कथन उनके बताएं अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ भी घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक 24/02/2016 को ही साक्षीगण के समक्ष आरोपी तेज सिंह द्वारा एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30/एम.एच./3754 तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी तेज सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। विवेचक रूपदेव अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई

तथ्य दर्शित नहीं हुये है कि आरोपी तेज सिंह ने वाहन क्रमांक एम.पी. 30/एम.एच./3754 को बिना बीमा एवं बिना वैध लाईसेंस के चलाया।

21. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाली मोटर साईकिल पर तीन लोगों के सवार होने एवं उन तीनों के गिरने पर घायल होने के तथ्य का उल्लेख है। लेकिन प्रकरण की साक्ष्य संग्रहण में आरोपी तेज सिंह के साथ कथित रूप से मौजूद एवं आहत दो अन्य लोगों की पहचान के संबंध में कोई साक्ष्य संग्रहित नहीं की गई। यदि आरोपित दुर्घटना में आरोपी तेज सिंह एवं उसके साथ मौजूद दो अन्य लोग भी घायल हुये थे, तो उनके घायल होने और उनके ईलाज कराये जाने संबंधी कोई तथ्य साक्ष्य के रूप में विवेचना के दौरान संग्रहित नहीं किये गये। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक रूपदेव पेंकरा अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी की दिनांक में ओवरराईटिंग है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके कॉलम नम्बर 02 एवं कॉलम नम्बर 08 में गिरफ्तारी की दिनांक : 23/02/2016 को काटकर 24/02/2016 की गई है, जिस पर विवेचक द्वारा कोई लघु हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। विवेचक रूपदेव पेंकरा अ.सा.07 द्वारा उक्त ओवरराईटिंग कर गिरफ्तारी का दिनांक परिवर्तित किये जाने का कोई कारण उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि हस्तगत प्रकरण में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में जब्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 को उसके पंजीकृत स्वामी चन्द्रभान सिंह पुत्र शिव सिंह द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है। लेकिन विवेचक रूपदेव पेंकरा अ.सा.07 ने उक्त पंजीकृत स्वामी चन्द्रभान का इस वावत् कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया है कि दुर्घटना दिनांक को उसका वाहन किसके आधिपत्य में था और उसे कौन चला रहा था। ऐसी दशा में उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना से अभियोजन साक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण एवं संदेहास्पद होना प्रकट होती है।

22. डॉ.राहुल सिंह अ.सा.01 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत गौतम अ.सा.03 के मेडीकल परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी तेज सिंह ने दिनांक : 23/02/2016 की शाम लगभग 06:30 बजे ग्राम सलमपुरा के पास गोहद-मौ रोड़, सोवरन सिंह के ट्यूबवैल के पास, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.एच./3754 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को

उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत गौतम सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी तेज सिंह के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी तेज सिंह को भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

26. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30/एम.एच./3754 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी चन्द्रभान सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद